

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़**  
**पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 35 / 2021

दायर दिनांक : 28 / 12 / 2021

निर्णय दिनांक : 28 / 09 / 2022

**उनवान**

1. भैरूलाल पिता नोला गाडरी निवासी बुल का खेडा तहसील भूपालसागर

**बनाम**

**प्रार्थी**

1. बाबरू पिता टेका गाडरी निवासी बुल का खेडा तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

**: निर्णय :**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये, इसलिए प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम बुल की आ.सं. 955 रकबा 0.45 है., आ.सं. 956 रकबा 0.05 है., कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 हैक्टियर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(भावना सिंह)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

